बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग १—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि ८ अप्रील १९७४ ई० ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या—१६, १७ एवं २५	१—१३
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ८४९, ८५०, ८५७, ८९९, ९००, ९०१, ९०३, ९०४, ९१८, ९१९ एवं ९२२ ।	१३—४०
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	४१—६०
दैनिक निबन्ध	६१—६२

टिप्पणी—किन्हीं मन्त्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है ।

श्री दारोगा प्रसाद राय—इनको पोआएण्ट औफ आर्डर के लिए रिजर्व रखिये।

श्री आजम—जाँच के लिए कलक्टर के पास भेजा गया तो किस तिथि को ?

श्री राधानन्दन झा—तिथि ४ मार्च १९७४ को।

श्री आजम—क्या सरकार यह बताएगी कि मैंने अपने दरखास्त में यह माँग की थी कि जब जाँच हो तो मुझे भी बुलाया जाय।

अध्यक्ष—यह तो साधारण नियम है।

श्री राधानन्दन झा—होना तो यही चाहिए।

श्री आजम—मेरे प्रश्न पूछने के बाद जाँच के लिए आदेश दिया गया या उसके पहले ?

अध्यक्ष—आपका प्रश्न तो कारगर होता ही है।

श्री राधानन्दन झा—जाँच का आदेश दे दिया गया है।

श्री शकूर अहमद—श्री आजम ने जो मुकदमा किया है उसमें क्या-क्या उन्होंने दिया है।

अध्यक्ष—उसमें बहुत देर लगेगी।

श्री रामलखन सिंह पर आरोप।

३०९। श्री जय प्रकाश मिश्र—क्या मन्त्री, कार्मिक विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री राम लखन सिंह, सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, देवघर (संताल परगना) की नियुक्ति कब हुई और वे आजतक किस-किस पद पर कहाँ-कहाँ पदस्थापित रहे हैं ;

(२) क्या यह बात सही है कि देवघर के नागरिकों ने इनके भ्रष्ट कारनामों के विषय में उच्चाधिकारियों को आवेदन-पत्र दिया है ; यदि हाँ, तो कब-कब और आजतक उन आवेदन-पत्रों पर कौन-सी कार्रवाई की गई, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधानन्दन झा—(१) श्री रामलखन सिंह अस्थायी अवर समाहर्त्ता की नियुक्ति १९७१ के प्रोन्नति कोटा के विरुद्ध अगस्त, १९७२ में हुई थी। तब से ये

बिहारशरीफ, नवादा एवं देवघर में सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित रहे हैं।

(२) उनके विरुद्ध देवघर के नागरिकों का कोई शिकायत-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अतः इसपर कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जय प्रकाश मिश्र—मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रोन्नति के पूर्व वे किस पद पर थे तथा किस विभाग में थे ?

श्री राधानन्दन झा—यह सूचना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उनकी नियुक्ति १९७२ में प्रोन्नति कोटा के विरुद्ध हुई थी। उस समय वे सप्लाई इन्सपेक्टर थे।

श्री शकूर अहमद—सप्लाई इन्सपेक्टर में वे कहाँ-कहाँ थे ?

श्री राधानन्दन झा—सप्लाई इन्सपेक्टर में वे कहाँ-कहाँ थे उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं।

श्री जयप्रकाश मिश्र—क्या यह सरकारी नियम है या नहीं कि किसी भी सब-डिप्टी कलक्टर की प्रथम सेवा ८ साल तक प्रखण्ड में रहनी चाहिए और यह अनिवार्य है ?

श्री राधानन्दन झा—यह तो है ही।

श्री जयप्रकाश मिश्र—यह सरकारी आदेश है या नहीं, यह बतायें।

श्री राधानन्दन झा—यह तो है ही।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य, आपने तफसील में पूछा नहीं।

श्री जयप्रकाश मिश्र—जब से वे सरकारी सेवा में आये हैं तब से सप्लाई डिपार्टमेंट में हैं और अपनी पैरवी के बल पर कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी रूप में सप्लाई विभाग से सम्बन्धित रहे हैं।

अध्यक्ष—हो सकता है उसमें वे एक्सपर्ट हो गये हों ! (हँसी)

श्री चतुरानन मिश्र—मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जैसा कि मुख्य मन्त्री ने हाल ही में घोषणा की कि ७५ प्रतिशत इसमें पवित्र आत्मावाले लोग हैं तो क्या ये जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी उनमें आते हैं या नहीं ?

श्री राधानन्दन झा—इसकी जानकारी हमको नहीं है।

श्री श्रीकान्त झा—प्रश्न के खण्ड (२) में दिया गया है कि देवघर के नागरिकों की ओर से भ्रष्ट कारानमों के विषय में उच्चाधिकारियों को आवेदन-पत्र दिया गया है जिसके उत्तर में सरकार ने बताया कि इसकी जानकारी नहीं है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिकायत क्या राज्य मन्त्री, आपूर्त्ति को मिली है या नहीं ?

अध्यक्ष—अभी तक उनको जो जानकारी है, उनका कहना है कि उनको कोई इस तरह का आवेदन-पत्र नहीं मिला है।

श्री श्रीकान्त झा—हम इसको चैलेन्ज करते हैं कि इसकी जानकारी सरकार को है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसकी जानकारी राज्यमंत्री, आपूर्त्ति को है और सरकार का कहना है कि इसकी जानकारी नहीं है।

श्री राधानन्दन झा—जब से ये देवघर में पदस्थापित हैं उनके विरुद्ध कोई आवेदनपत्र कार्मिक विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री शकूर अहमद—हमारा प्वाएण्ट औफ आर्डर है। ये डिप्टी कलक्टर हैं लेकिन सप्लाई विभाग में काम करते हैं और इनके विरुद्ध शिकायत है। माननीय सदस्य कहते हैं कि आपूर्त्ति राज्य मंत्री को पता है तो क्या इनकी जिम्मेदारी थी या नहीं कि ये आपूर्त्ति विभाग के राज्य मंत्री से पूछते कि यह चार्ज था या नहीं—यह कोई जवाब नहीं है कि कार्मिक विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य बगल में बैठे हुए हैं और उनपर गम्भीर चार्ज है। अच्छा हो इसे सप्लाई विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाए।

अध्यक्ष—इसको सप्लाई डिपार्टमेंट भेज दिया जाए।

ठाकुर मुनीश्वर नाथ सिंह—क्या यह सरकार की जवाबदेही है या नहीं कि अगर दो-तीन विभागों से कोई प्रश्न सम्बन्धित हो तो सभी विभागों से जानकारी प्राप्त कर जवाब सरकार दे ?

अध्यक्ष—ठीक है। वह है, लेकिन मुख्यतः यह सप्लाई विभाग से सम्बन्धित है, इसलिए वहां भेज दिया गया।

श्री कमलदेव नारायण सिंह—प्रश्न में कहा गया है कि उच्च अधिकारियों के पास आवेदन पत्र दिया जा चुका है, इसका मतलब हुआ कि एस० डी० ओ० और कलक्टर के पास गया हो और सरकार का कहना है कि इसकी जानकारी नहीं है। इसको चैलेन्ज किया है माननीय सदस्य ने इसलिए हमारा अनुरोध है कि इसकी जाँच होनी चाहिए।

अध्यक्ष—इसको सप्लाई में जाने दीजिए और उसके बाद विभाग सूचना सप्लाई करेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ के सम्बन्ध में चर्चा।

श्री राधानन्दन झा—समय चाहिए।

श्री कमलदेव नारायण सिंह—यह पहले भी स्थगित हुआ था और आज भी हो रहा है।

अध्यक्ष—आज भी नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करें? जवाब नहीं है।

श्री राधानन्दन झा—प्रश्न बहुत व्यापक है। इसमें लिखा है कि पदाधिकारियों पर कौन-कौन आरोप हैं? सारे सचिवालय से संग्रह करना पड़ेगा।

श्री कमलदेव नारायण सिंह—सचिवालय से जवाब मिलना है तो इसको अतारांकित कर दिया जाय।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—इसका डिटेल्ड इनफॉरमेशन लेना होगा।

अध्यक्ष—आदत पुरानी है और अभी विशेष परिस्थिति है। अध्यक्ष को तो सबको लेकर चलना है।

श्री ज्वाला प्रसाद के विरुद्ध कार्रवाई।

८४९। श्री प्रभुनाथ सिंह—क्या मन्त्री, नियुक्ति (निगरानी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सारन जिला के रिविलगंज प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्री ज्वाला प्रसाद पर भ्रष्टाचार का आरोप है;